

21/03
24

पत्रावली पेश। वकील वही एवं पेंसेमर राजा उपा।
वहस पर मनन करने एवं पत्रावली का अपलोड
करने पर वादीया का वह पर स्वीकार योग्य
मही होने के कारण खारिज किया जाय है।
पत्रावली का तस्वीर तकमील होकर दाखिल
इफ्तार है।

निम्न लिखीया जाकर खुले न्यायालय
में सुनया गया

(मनोज कुमार शीष)
Ro.Ao.So

